समाहरणालय, सिमडेगा
(जिला समाज कल्याण शाखा)

आदेश

निदेशानुसार,

सिमडेगा जिला में अवस्थित बाल सम्प्रेक्षण गृह के अधीन सृजित पद समूहों के विरूद्ध समेकित बाल संरक्षण योजना के चिन्हित पदों के अनुसार संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक 2757 दिनांक 12.10.2018 द्वारा दिनांक 16.10.2018 के सामाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों का अंतिम मेधा सूचि एवं झारखण्ड नियुक्ति नियमावली के अनुसार सभी शर्त्तों को पूरा करने वाले सिमडेगा जिले के आवेदकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति निम्न मानदेय के अनुसार किया जाता है –

क्र0 सं0	पदनाम	वित्त विभाग संकल्प सं0–965/वि0 दिनांक 25.03.2009 एवं संकल्प सं0–2176/वि0 दिनांक 28.07.2015 के आलोक में निर्धारित संविदागत पारिश्रमिक राशि	कार्य अवधि	चयनित उम्मिदवार का नाम/पता
1	पोस्टकोड–01 अधीक्षक	28755.00	1 वर्षों के लिए	सपना सन्यासी ग्राम– शिवनगर पोस्ट– खुँटीटोली जिला– सिमडेगा।
2	पोस्टकोड–02 गृहपति	16188.00	1 वर्षों के लिए	शोभा कुमारी ग्राम– हाटिंगहोरे पोस्ट– बानो जिला– सिमडेगा।
3	पोस्टकोड–03 परिवीक्षा पदाधिकारी	28755.00	1 वर्षों के लिए	श्रीकांत श्रीवास्तव गैस गोदाम के नजदीक पोस्ट– गोतरा जिला– सिमडेगा।
4	पोस्टकोड–05 परामर्शी	31311.00	1 वर्षों के लिए	कात्यायनी प्रसाद सलडेगा रोड जिला– सिमडेगा।
5	पोस्टकोड–07, भण्डारपाल सह लेखापाल	15123.00	1 वर्षों के लिए	रिकी कुमारी ग्राम– ठाकुरटोली, टुकुपानी पोस्ट– पण्डरीपानी जिला– सिमडेगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते–

1. संविदा एक वर्ष हेतु अनुमान्य होगा। आवश्यकतानुसार अग्रेतर वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जाएगा।
2. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को एक माह की नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
3. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों का स्थाई नियोजन नहीं होगा बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरूद्ध उन्हें कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जाएगा।
4. विभाग आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्त्तों एवं पदों की संख्या में संशोधन कर सकता है।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मियों की मासिक पारिश्रमिक राशि के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह मान्य होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मी का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगा।
8. संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियां की तरह आचार संहिता लागू होगा।

05/03/19

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
सिमडेगा।

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक– 222(ii) दिनांक– 05-03-2019

प्रतिलिपि– सभी चयनित उम्मिदवार को सूचनार्थ प्रेषित। सभी चयनित उम्मिदवार दिनांक– 07-03-19 तक जिला समाज कल्याण कार्यालय सिमडेगा में योगदान दें।

प्रतिलिपि– जिला जन–सम्पर्क विभाग, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि चयनित अभ्यर्थीयों का नाम प्रेस में प्रकाशित करें।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि चयनित अभ्यर्थीयों का नाम सिमडेगा NIC के वेबसाइट में प्रकाशित करें।

प्रतिलिपि– सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

05/03/19

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
सिमडेगा।

Scanned by CamScanner